अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-12/1649/26-3-2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सामाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 अक्टूबर, 2013

विषय - पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं सामान्य जाति के छात्र/छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/विमुक्त जाति तथा सामान्य जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इस संबंध में शासन स्तर से निर्गत पार्श्वांकित महत्वपूर्ण शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्गों के छात्रों को निर्धारित दरों एवं शर्तों पर छात्रवृत्ति का वितरण वर्तमान सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रमों में

1-शा0सं0 2507/26-3-99-4(215)/90टी0सी0 दिनांक 04.08.1999
2-1887/26-3-2002-4(215)/90 टी0सी0 दिनांक 10.07.2002
3-2172/26-3-04-4(134)/04, दिनांक 16.08.2004
4-2797/26-3-2011 दिनांक 17.08.2011

http://shasanadesh.up.nic.in

5-2338/26-3-2011 दिनांक 06.07.2011 **6-1720/26-3-2012 दिनांक 12.07.2012**

शामिल है। छात्रवृत्ति दिये जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें पठन-पाठन हेतु लगनशील एवं जागरूक बनाया जा सके। अतएव इस संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को समेकित करते हुए निम्नवत् व्यवस्था पुनर्स्थापित की जाती है :-

<u>निवास-</u>

यह छात्रवृत्ति केवल उत्तर प्रदेश में अध्ययन करने के लिए दी जायेगी। इस हेतु आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

<u>2. शिक्षा सत्र एवं छात्रवृत्ति की अवधि -</u>

कक्षा 1 से 8 तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा कक्षा 1 से 10 तक के सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को उनके अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी, जिसकी अवधि प्रत्येक कक्षा में 12 माह होगी, किन्तु शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रवेश लेने वाले छात्रों को उस माह से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी, जिस माह से उसने कक्षा में प्रवेश लिया हो, किन्तु यदि छात्र/छात्रा ने किसी माह की 20 तारीख के बाद प्रवेश लिया है तो उस माह की छात्रवृत्ति उसे देय नहीं होगी। कक्षा9-10 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत 10 माह की छात्रवृत्ति दी जायेगी।

<u>3. छात्रवृत्ति की दरें</u>

http://shasanadesh.up.nic.in

कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी-

क्र0 संख्या	कक्षा	दर प्रतिमाह
1	1 से 5 अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग	25/-
2	6 से 8 अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग	40/-
3(ए)	9 से 10 सामान्य वर्ग	60/-
3(बी)	9 से 10 अनु0जाति/जनजाति	150/- एवं 750/-वार्षिक तदर्थ अनुदान(डेस्कालर) 350/-एवं 1000/- वार्षिक तदर्थ अनुदान(हास्टल)

4. पात्रता-

यह छात्रवृत्ति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुमन्य होगी।

5. आय-सीमा-

यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/विमुक्त जाति के छात्रों को कक्षा 1 से 8 तक बिना आय-सीमा के प्रतिबन्ध के भुगतान की जायेगी, जबकि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों, जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रू0 19884/- (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रू0 25546/-(शहरी क्षेत्र) तक हो, के आश्रितों को (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/विमुक्त जाति के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्रायें, पात्र होगें, जिनके अभिभावकों की आय रू0 2.00 लाख वार्षिक से अनाधिक है। आय प्रमाण पत्र सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/विधान मण्डल/जिला परिषद/नगर

http://shasanadesh.up.nic.in

पालिका तथा मुख्य नगर अधिकारी, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा।

6. छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण-

(अ) शासनादेश संख्या-1720 दिनांक 12-07-2012 द्वारा अपेक्षित था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दी जायेगी एवं नवीन मान्यता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं का नाम मास्टर डेटा में जोड़ने की अंतिम समय-सीमा 31 अगस्त निर्धारित की गयी थी तथा निर्देश दिये गये थे कि इसके बाद नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रवृत्ति देय होगी। आशा है निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया होगा। यदि कोई कार्यवाही लम्बित है तो उसे 31 अक्टूबर तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(ब) पूर्व शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 15 अगस्त तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग से नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची तथा अग्रणी जिला प्रबंधक (लीड बैंक) से नवीन बैंक शाखाओं का ब्यौरा प्राप्त करके हर शाखा के आई0एफ0एस0 कोड की प्रविष्टि जिला सूचना विज्ञान केन्द्र में करायेगें। आशा है कि कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी होगी। यदि किसी बैंक शाखा का आई0एफ0एस0 कोड मास्टर डेटा में दर्ज न हो तो उसे तत्काल दर्ज करा लिया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(स) उपरोक्त शासनादेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गयी थी कि वे 15 अगस्त तक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के ग्राम शिक्षा निधि तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित सी0बी0एस0 खाते जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करा दें, जिससे माह अगस्त के अन्त तक मास्टर डेटा अपडेट हो सके। कृपया अपूर्ण कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाय।

(द) उपरोक्त अंकित शासनादेशानुसार शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही कक्षा 01, कक्षा 06 एवं कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था स्तर पर भरवाने तथा पूर्व प्रवेशित छात्रों का नवीनीकरण संस्था स्तर पर करने के बाद साफ्टवेयर के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने के निर्देश हैं। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को पूर्व से ही यह दायित्व सौंपा गया है कि वे एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर पर पुराने छात्रों के डिलीशन/प्रमोशन तथा नये छात्रों की डेटा फीडिंग कराकर सी0डी0 तथा हार्डकापी जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था स्तर पर जॉच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरक्षित रखे जाने के निर्देश हैं। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(य) छात्रवृत्ति के वितरण के पूर्व सभी छात्र/छात्राओं का समस्त विवरण अद्यावधिक कराते हुए समस्त अभिलेख एवं कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों का पूर्ण परीक्षण एवं जॉच शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त का सत्यापन जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा कराने के उपरान्त ही धनराशि के वितरण की स्वीकृति दी जायेगी। पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु मांगपत्र/सी0डी0 संबंधित विभागों को उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम समय-सीमा (नव प्रवेशित छात्रों को छोड़कर) 31 अगस्त तथा नव प्रवेशित छात्रों के संबंध में मांग पत्र 30 सितम्बर तक प्रेषित किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। यदि कोई कार्य अवशेष रह गया हो, उसे 31 अक्टूबर तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(र) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का नगद भुगतान किया जायेगा। कक्षा 9 से 10 के छात्रों के छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित करके भुगतान की जायेगी। पूर्वदशम छात्रवृत्ति का वितरण एक ही किश्त में किया जायेगा।

(ल) पूर्वदशम छात्रवृत्ति की धनराशि एक किश्त में छात्रों को वितरित की जायेगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा विगत वर्ष में व्यय की गयी धनराशि का 80 प्रतिशत धनराशि का बजट संबंधित जनपदों को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि जनपद स्तर पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो नेट पर अपलोड डेटा के सापेक्ष इसका मांग पत्र संबंधित अधिकारीगण पूर्व प्रेषित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित करेगें।

(व) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रत्येक परिषदीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय की वास्तविक छात्र

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा देंगे, जिससे मास्टर डेटा में विद्यालय की अधिकतम छात्र संख्या अंकित हो जाय एवं फर्जी छात्रों की फीडिंग संभव न हो सके। मास्टर डेटा में विद्यालय की अधिकतम छात्र संख्या सही होने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 8 तक के पात्र छात्र/छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति व वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(अ) ग्राम पंचायत में स्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों की छात्रवृत्ति ग्राम शिक्षा निधि खाते में भेजी जायेगी जो कि समस्त विद्यालयों के लिए अलग-अलग होगी। ग्राम शिक्षा निधि के खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। मान्यता प्राप्त निजी प्रबंधतंत्र के विद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि शासनादेश संख्या 2095/26-3-12/2012 दिनांक 12-11-2012 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित विद्यालय के खाते में नेट पर अपलोड डेटा के सापेक्ष जनपद स्तर से ई-पेमेंट द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी और धनराशि भेजने की सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब) जिला समाज कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि शासनादेश सं0 1630/26-3-2012 दिनांक 06-07-2012 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8 तक) की धनराशि शिक्षा विभाग के अधीन सृजित ग्राम शिक्षा निधि के खाते में कोषागार से ई-

http://shasanadesh.up.nic.in

पेमेंट द्वारा प्रेषित की जाय। उक्त धनराशि के प्रेषण की सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(स) पूर्वदशम छात्रवृत्ति का वितरण जिलाधिकारी द्वारा नियत दो या तीन तिथियों में रोस्टर के अनुसार होगा। वितरण कराने हेतु जिलाधिकारी स्तर से उचित स्तर के पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगाये जायेगें। पर्यवेक्षणीय अधिकारी समस्याओं का निराकरण कराकर अभिभावकों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के सामने छात्रवृत्ति वितरण करायेगें। पर्यवेक्षणीय अधिकारी यदि अपरिहार्य परिस्थितिवश मौके पर मौजूद नहीं रह पाता तो निर्धारित तिथि को छात्रवृत्ति वितरण का कार्य रोका नहीं जायेगा एवं बी0डी0सी0 सदस्य/जिला पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य को आमंत्रित करके छात्रवृत्ति वितरण उनके सामाने किया जायेगा।

(द) छात्रवृत्ति का वितरण ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा अपनी बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में निर्दिष्ट पात्र विद्यार्थियों को नगद रूप में किया जायेगा तथा प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जायेगी। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा किसी अंश का गलत या फर्जी पाये जाने पर समिति द्वारा इस सीमा तक छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया जायेगा।

(य) जो धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा निधि में हस्तांतरित की जायेगी, उसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को अनिवार्य रूप से दी जायेगी। वितरित

http://shasanadesh.up.nic.in

छात्रवृत्तियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम शिक्षा निधि के संचालकों द्वारा प्रत्येक वर्ष शिक्षा सत्र के अन्दर 31 दिसम्बर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिये जायेगें।

(र) प्रधानाध्यापक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि छात्रवृत्ति वितरण हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व बैंक शाखा प्रबंधक से मिलकर शाखा में पर्याप्त नकदी की व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगें।

8. शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 8 तक के पात्र छात्र/छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति व वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(अ) परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त निजी प्रबंधतंत्र के विद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि शासनादेश सं0 2095/26-3-12/2012 दिनांक 12-11-2012 के अनुसार प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय के प्रबंध समिति के वरिष्ठतम साक्षर सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त अर्ह छात्रों की सूची के आधार पर नेट पर अपलोड डेटा के सापेक्ष ट्रेजरी ई-पेमेंट द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। छात्रवृत्ति का खाता सी0बी0एस0 प्रकृति का ही मान्य होगा एवं प्रत्येक विद्यालय का अलग-अलग खाता रखा जायेगा। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति नगद दी जायेगी। छात्रवृत्ति का वितरण जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से पर्यवेक्षणीय अधिकारी उपस्थित न रहने पर छात्रवृत्ति वितरण का कार्य रोका नहीं जायेगा एवं क्षेत्रीय सभासद या अन्य जन प्रतिनिधि को आमंत्रित करके छात्रों के अभिभावकों के सामने

http://shasanadesh.up.nic.in

छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) छात्रवृत्ति वितरण के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र के साथ लाभार्थी छात्रों की सूची उन्हें दी गयी धनराशि के उल्लेख सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

9. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति -

(अ) कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नलिखित समिति द्वारा की जायेगी -

1.	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2.	अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति एवं सामान्य वर्ग के एक-एक वरिष्ठतम् अध्यापक	सदस्य

(ब) कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के खाते उसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले जायेगें, जहाँ विद्यालय छात्रवृत्ति का खाता (कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति हेतु) खुला हुआ है।

(स) कक्षा 9 व 10 तक के संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/संस्थाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह छात्रवृत्ति के लिए चयनित पात्र छात्र/छात्राओं की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करके छात्र/छात्राओं के सूचनार्थ संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

(द) कक्षा 9 व 10 के छात्रों के छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्रों के खाते में अंतरित किये जाने की व्यवस्था है, जिसकी डाटा इंट्री भी एन0आई0सी

http://shasanadesh.up.nic.in

की वेबसाइट पर शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होगी कि विधिवत् छानबीन करने के बाद ही विद्यालयों की मान्यता एवं उसके संचालन की सुदृढ़ स्थिति का परीक्षण करके आय के आधार पर अर्ह छात्रों की ही डेटा इंट्री सुनिश्चित करायी जायेगी।

10. अवशेष धनराशि की वापसी -

वर्तमान व्यवस्थानुसार जनपद स्तर से छात्रवृत्ति की मांग आनलाइन जनरेट होती है, अत: उसी के सापेक्ष मुख्यालय स्तर से धन की उपलब्धता के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी के पक्ष में धनावंटन किया जायेगा। तदुपरान्त छात्रवृत्ति की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम शिक्षा निधि/विद्यालयों के संयुक्त खातों अथवा छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में स्थानान्तरित करते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो धनराशि वितरित होने से शेष रह जाती थी, उसे संस्थाओं द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को चेक के माध्यम से वापस प्राप्त धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतें प्रकाश में आयी हैं। ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं, जिसमें वापसी की धनराशि को नोशनल खाते में न जमा करके धन का व्यपहरण कर लिया गया है। अत: उक्त छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि जिसे वापस प्राप्त किया जाना है, का दुरूपयोग एवं व्यपहरण की सम्भावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि ग्राम शिक्षा निधि के संचालकों (ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक) तथा विद्यालयों के संयुक्त खाते के संचालकों के संयुक्त हस्ताक्षर से छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि का शाखा

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रबंधक स्टेट बैंक आफ इण्डिया की व्यावसायिक शाखा या मुख्य शाखा जैसी स्थिति हो, के पक्ष में बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट निर्गत कराया जायेगा, जिसका भुगतान जनपद मुख्यालय पर देय होगा। चूंकि शासकीय प्रयोजन से यह बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट निर्गत कराया जायेगा, अत: निर्गमन राशि देय नहीं होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्षक मुद्रित कराकर ट्रेजरी चालान की पर्याप्त प्रतियॉ खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रधानाध्यापक छात्रवृत्ति वितरण के बाद अवशेष राशि का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा अन्य प्रविष्टियॉ उक्त चालान में अंकित करके खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित नगर शिक्षा अधिकारी या अन्य कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी स्टेट बैंक में अवशेष धनराशि का बैंकर्स चेक तथा उक्त ट्रेजरी चालानों को जमा करके चालान की तीसरी प्रति प्राप्त करेगें, तथा संबंधित शैक्षणिक संस्था को वापस कर देंगे, जो कि एक रजिस्टर बनाकर उसका लेखा-जोखा रखेगें एवं उपभोग प्रमाण पत्र के साथ समाज कल्याण विभाग को उक्त चालान की प्रति भेजेंगे।

11. अन्य प्राविधान -

(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति तथा सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु 19 बिन्दु की पंजिका अनुरक्षित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक संस्था के खाते में प्रेषित राशि तथा वितरित एवं रिसीट हेड में जमा राशि का व्योरा अंकित रहेगा। पटल सहायक प्रत्येक संस्था के विवरण के समक्ष हस्ताक्षर करेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक लेजर अनुरक्षित किया जायेगा, जिसमें छात्रों का फोटो लगेगा एवं पूर्ण विवरण अंकित रहेगा। छात्रवृत्ति राशि प्राप्ति के बाद छात्र/छात्रा एवं उसके पिता/माता या अभिभावक पंजिका पर हस्ताक्षर करेगें, जिसका प्रमाणीकरण प्रधानाध्यापक करेगें। यह लेजर/पंजिका प्राइमरी कक्षाओं में उक्त छात्र/छात्रा के कक्षा 5 तक तथा जूनियर कक्षाओं में कक्षा 8 तक की पढाई पूर्ण होने तक निरन्तर अनुरक्षित की जायेगी।

(3) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण कराने तथा उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत एक समिति रहेगी, जिसकी बैठक प्रतिमाह या आवश्यकतानुरूप करके गुणवत्ता पूर्वक छात्रवृत्ति वितरण का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4.	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	सदस्य
7.	मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य

(4) जिला समाज कल्याण अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक विकास अधिकारी(स0क0)/ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) तथा शहरी क्षेत्रों में समाज कल्याण सुपरवाइजर से अनु0जाति/सामान्य वर्ग के 100 छात्रों

http://shasanadesh.up.nic.in

से अधिक भुगतानित विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण का यथासंभव अवश्य सत्यापन करायेगें।

(5) जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 05 विद्यालयों का छात्रवृत्ति वितरण सत्यापन करके आख्या उप निदेशक, समाज कल्याण को तथा उप निदेशक(स0क0) अपने मण्डल के 05 विद्यालयों का मासिक सत्यापन करके आख्या निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

(6) चूंकि छात्रवृत्ति व्यवस्था पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत है, अत: एन0आई0सी0 द्वारा डेटा प्रोसेस करते समय जो डेटा जंक पाया जाय उसे 31 अक्टूबर के पूर्व शुद्ध कराकर पुन: वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करा दी जाय।

(7) यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में असफल रहता है, तो उस कक्षा के लिए दोबारा छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं दी जायेगी।

(8) यदि छात्र किसी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

(9) यह ही माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होगें, परन्तु यह प्रतिबन्ध लड़कियों पर लागू नहीं होगा।

(10) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत् पूर्व शासनादेशों में निहित अन्य शर्तें एवं प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेगें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाईपूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय

http://shasanadesh.up.nic.in

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- /26-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/अधिष्ठान, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समाज कल्याण आयुक्त/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 ।
8. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0/निदेशक, एन0आई0सी0, योजनाभवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

उपभोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण सत्र ..... के सापेक्ष छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु दिनांक ..... को ग्राम शिक्षा निधि/विद्यालय के संयुक्त खाते में रू0..... की धनराशि प्राप्त हुयी थी। उक्त धनराशि में से रू0 ..... की धनराशि छात्र/छात्राओं को वितरित की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 .....का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट ग्राम शिक्षा निधि/विद्यालय के संयुक्त खाते से स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पक्ष में निर्गत कराकर ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक .....द्वारा समाज कल्याण विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। अब ग्राम शिक्षा निधि खाता संचालन हेतु आवश्यक धनराशि को छोड़कर अन्य धनराशि निधि खाते में अवशेष नहीं है।

हस्ताक्षर
ग्राम शिक्षा निधि/विद्यालय
के संयुक्त खाते के संचालक।

नोट:- उपभोग प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति का अलग-अलग दिया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in